वाणिज्य अ.ज.–820

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./ अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.–II/2020–21/प्रे 2488 दि: 09-02-2021

आदेश

माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत् अधिनियम–2003 के तहत दर्ज चोरी के मामलों में की जाने वाली कार्यवाही एवं राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के गठन के संबंध में 22.12.2020 को आदेश जारी किया गया है। माननीय आयोग के आदेश की अनुपालना में अजमेर डिस्कॉम द्वारा आदेश क्रमांक 2434 दिनांक 01.02.2021 (वाणिज्य आदेश – 819) जारी किया गया है। इस आदेश के आदेशानुसार विद्युत् चोरी के प्रकरणों में दर्ज मामलों को राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के समक्ष प्रोविजनल राजस्व निर्धारण के नोटिस की दिनांक से 30 दिवस के अंदर वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपये, जो भी कम हो व सम्पूर्ण प्रशमन राशि (Compounding Charge) जमा करवाकर अपील दायर किये जाने का प्रावधान किया गया है।

विवादित वीसीआर की सुनवाई हेतु पूर्व में जारी आदेश संख्या जेपीडी/अध्यक्ष डिस्कॉम/टीए/प्रे. 326 दिनांक 31.07.2017 (स्थायी आदेश 17/11सी) एवं वर्तमान आदेश संख्या वाणिज्य आदेश – 819 में समय सीमा में अंतर होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है।

विद्युत् निगमों में सतर्कता जाँच व उनके निस्तारण की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु माननीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 08.02.2021 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य आदेश – 819 दिनांक 01.02.2021 से पूर्व भरी गई वीसीआर के मामलों के निस्तारण हेतु उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु 31 मार्च 2021 तक वाणिज्य आदेश संख्या – 819 के अन्य प्रवधानों (समय सीमा के अलावा) के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।

समस्त फील्ड अधिकारी ऐसे उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं को जिनकी वीसीआर लंबित है, तुरंत सूचित कर वीसीआर के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

MCBaldi

(एम.सी.बाल्दी)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

d./XEN-II/Comml. Order hindi